विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	लोक निर्माण
तारांकित प्रश्न संख्या	:	4799
उत्तर की तिथि	:	05.03.2022
विषय	:	संपर्क मार्ग निर्माण
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी)
सम्बन्धित मन्त्री	:	माननीय मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे किः– (क) संपर्क मार्ग गुलआ–चलेला व सुरहाड़ के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम की अनापत्ति के उपरान्त लोक निर्माण विभाग ने वन विभाग को कितनी धनराशि जमा करवाई है; और	(क) एवं (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) धनराशि जमा करने के उपरान्त भी इन सड़क मार्गों का निर्माण कार्य किन कारणों से आरम्भ नहीं किया जा रहा है; ब्यौरा दें?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 4799 जोकि श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी) द्वारा पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचनाः–

(क) सम्पर्क सड़क गलुआ से चलैला के निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति भारत सरकार से दिनांक 31.01.2020 को प्राप्त हो गई थी। उसके उपरान्त विभाग ने दिनांक 17.10.2020 को मु0 74,91,336/– रूपये व दिनांक 01.04.2021 को मु0 2,36,599/– रूपये की कुल मु0 77,27,935/–रूपए की धनराशि वन विभाग को जमा करवाई है।

सम्पर्क सड़क सुरहाड़ के निर्माण हेतु वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार से दिनांक 11.01.2021 को प्राप्त हो गई है। उसके उपरान्त विभाग ने दिनांक 01.04.2021 को मु0 75,70,147/– रूपए की धनराशि वन विभाग को जमा करवाई है।

(ख) सम्पर्क सड़क गलुआ से चलैला में वन भूमि में शामिल पेड़ों को काटने के लिए इस विभाग द्वारा उप–वन मण्डलाधिकारी, बिलासपुर को दिनांक 10.02.2021 व दिनांक 05.01.2022 को मामला प्रेषित किया गया है। जैसे ही पेड़ काटने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाऐगी सड़क के निर्माण कार्य को शुरू करने में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सड़क सुरहाड़ भूमि में शामिल पेड़ों को काटने बारे मामला वन विभाग को दिनांक 30.04.2021 व 15.02.2022 को प्रेषित किया गया है। जैसे ही पेड़ काटने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी सड़क के निर्माण कार्य को शुरू करने में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।